

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुकम	रामजीलाल बन्नाम रामावतार हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
08/01/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील को नोट प्रेस करते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी अब अपनी अपील को आगे चलाना नहीं चाहता है अतः अपील अपीलार्थी नोट प्रेस किये जाने से खारिज फरमाई जावे चूँकि अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील नोट प्रेस कर अपील खारिज किये जाने की इस्तदुआ की है अतः अपील अपीलार्थी नोट प्रेस किये जाने से खारिज की जाती है तदनुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया	

12/2016

Q